महिलासशक्तिकरण–वर्तमान स्वरूप तथा चुनौतियां

डॉ0 निरंजना शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग,

राजकीय स्ना0 महाविद्यालय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल

Email: *rameshtehri1990@gmail.com*

सारांश

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य शक्ति प्रदान करने से है मानसिक अथवा शारीरिक सामर्थ्य प्रदान करना ही सशक्तिकरण है। शक्ति अथवा क्षमता के अधिकारी सन्दर्भ मे महिलाओं को विशेष अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध कराते है तबवह प्रक्रिया महिला शक्ति की ओर संकेत करती है। मानवीय श्रंखला को निश्चित करने में पुरूष की भांति महिला /स्त्री का सम्पूर्ण रूप से सहयोगात्मक व सामानता से परिपूर्ण भागीदारी है। जिसे शारीरिक ,मानसिक व आर्थिक दुर्बलता का बहाना देकर नाकारा नही जा सकता। भारतीय समाज में सदैव अनेक दक्षता से परिपूर्ण भारतीय नारियों के कौशल व साहस के उदाहरण रहे है। लेकिन समय व परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ भारतीय समाज में स्त्रीयों की सुरक्षा समृद्धि व संरक्षण की परिभाषा बदलती चली गयी किन्तु आज भी राष्ट्र व समाज निश्चित नही कर पा रहा है कि महिला की दशा व दिशा क्या होनी चाहिए? महिला सशक्तिकरण अपने आप मे व्यापक अर्थ को समेटे हुऐ है जिसमें महिलाओं के अधिकारों तथा शक्तियों का स्वभाविक रूप से समावेश हुआ प्रतीत होता है। यह एक मानसिक अवस्था है जिसमे कुशलता शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थतियां सम्मिलित होती है। आवश्यक कानूनी प्रावधानों तथा उनके क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू होना अत्यधिक अनिवार्य है सशक्तिकरण सक्रिय बहु आयमी प्रक्रिया है जिसे राज्य के सक्रिय हस्थक्षेप के बिना समाज के संबंधों मे प्राप्त करना असम्भव है ।

मुख्य शब्द–*महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय ,शैक्षणिक सहभागिता, आर्थिक समानता, अधिकार तथा कानून की जागरूकता।*

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण की बात करते है तो स्पष्ट है की ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसम्पन्न तथा विकसित होने हेतु सम्भावनाओं के द्वार खुलें नये विकल्प तैयार हो भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधायें, शिशु पालन, प्राकर्षतिक संसाधन, बैकिंग सुविधाएं कानूनी हक तथा प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त है । महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में गाँधी जी ने स्पष्ट किया था कि ''स्त्रीयों को अबला कहना उचित नही है। यह पुरूषों का स्त्रियों के प्रति अन्याय है। यदि शक्ति का तात्पर्य पाशविक शक्ति से है तो स्त्री निश्चय ही पुरूष से कम पशुवत है परन्तु यदि शक्ति का तात्पर्य नैतिक बल से है तो स्त्री

पुरूष से कहीं आगे है''। गाँधी जी नारी की शक्ति व क्षमता के प्रसंशक थे। शिक्षा महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का अहम बिन्दु है, शिक्षा प्रथम व मूलभूत साधन है जिसमें महिलायें स्वयं आत्मनिर्भर होती है साथ ही भावीपीढी के उत्थान मे भी सहयोग देती है। प्रो0 अमर्त्य सेन ने इस सन्दर्भ में लिखा है कि ''महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पडेगा। इससे पुरूषों व बच्चों को भी लाभ होगा''।

विश्व की आधी आवादी महिलाओं की है किसी भी देश की समाजिक आर्थिक व राजनीतिक प्रगति को जानने के लिए वहां की महिलाओं की स्थिति व स्तर का आंकलन करना आवश्यक है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोडे बिना किसी भी समाज, राज्य व देश के आर्थिक व सामाजिक विकास की कल्पना भी नही की जा सकती है। समाज की इस महत्वपूर्ण धूरी को विभिन्न स्तरों पर होने वाले भेद–भाव, शोषण व अन्याय का सामना करना पडता है। महिला उत्थान व सुरक्षा को लेकर सम्पूर्ण विश्व की जागरूकता एवं प्रयासों के बाद भी महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की बनी हुयी है। महिलाओं को प्रत्येक दिन घरेलु हिंसा, अपहारण, यौनशोषण एवं अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पडता है। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था का क्रूर रूप है थॉमसन राइटर्स फाउडेशन की ओर से जारी किये गये सर्वेक्षण में महिलाओं के प्रति यौन हिंसा व सेक्स बाजारों मे धकेले जाने के आधार पर भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक तेज बताया गया है। विगत कुछ वर्षो में महिलाओं के प्रति मानसिक शारीरिक व घरेलू हिंसा की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुयी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत के लिंग भेदयता सूचकांक (GVI) की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमे स्वास्थ्य शिक्षा गरीबी बाल विवाह हिंसा आदि के विरूद्ध संरक्षण जैसे अनेक मान दण्डों को ध्यान में रख कर मिश्रित अध्ययन सम्मिलित है जिसमें बिहार, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, प0 बंगाल, दिल्ली जैसे राज्यों के आंकडे अधिक चौकाने वाले है। महिलाओं की आध्यतमिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक शक्ति में वृद्धि सशक्तिकरण की अवधारण का सूचक है। सशक्तिकरण अनेकर्थी अवधारणा है सामाजिक व राजनीतिक अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति मध्यकालीन काल से अपेक्षाकृत अच्छी थी मध्यकाल लैगिंग विषमता व असामानता का काल था जिसमें रूढीवाद तथा कुरीतियों ने महिलाओं के विरूध वृहद रूप से जन्म लिया। स्वतंत्रता से पूर्व 19वी शदी के उत्तराद्ध मे महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के अनके प्रयास किये गये। 19वीं सदी को पूर्ण जागरण के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी शिक्षा के प्रचार–प्रसार से बाल विवाह, सतीप्रथा, विधवा विवाह जेसी सामाजिक बुराईयों से जकड़ी होने के कारण स्त्रियों के नये वातावरण के अनुकूल ढलने में कठिनाईयां हो रही थी । स्त्री हमेशा पुरूषों द्वारा निर्मित बन्धनों को स्वीकार करती आयी है । रामायण, महाभारत, कुमार सम्भव आदि ग्रन्थों में इनके उदाहरण व्याप्त हैं। मनु के अनुसार स्त्री के लिये पति सेवा गुरूकुल काम तथा गृहकार्य अग्नि होम है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्री पिता व पति पर आर्थिक रूप से निर्भर है। महिलाओं को निर्णय [illegible] प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं [illegible] (घर व बाहर) [illegible]

है। महिलाऐं विकास की दौड मे पीछे रह गयी है लैगिंग विषमता इसके लिये उत्तरदायी है। महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप स्थान नही दिया गया । सामाजिक व सांस्कृतिक आधार पर स्त्री को पुरूष से पृथक करने के आधार पर स्त्री व पुरूष के बीच समाज द्वारा निषेध वर्जनाए अधिकार, कर्तव्य, अपेक्षाएं तथा दृष्टिकोण लिंग भेद की श्रेणी आती है। मेरी वाल्सनक्राष्ट में अपनी पुस्तक विडिकेशन ऑफ द राईट ऑफ वोमेन मे स्पष्ट किया है कि ''मैं यह नही कहती की समाज मे महिलाओं का प्रभुत्व हो फिर भी इतना अवश्य कहती हूं कि समाज में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप स्थान मिलना चाहिए भारत को स्वतंत्र हुये 71 वर्ष हो चुके है किन्तु महिलाएं पूर्णरूप से स्वतंत्र नही है। उन्हे घरेलु हिंसा, अपहरण, बलात्कार, अपमान, भ्रूणहत्या, यौनशोषण तथा अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पडता है।

पृथक–पृथक काल खण्डो में महिलाओं की स्थिति

प्राचीन भारत में वैदिक व महाकाव्य युग में महिलाओं को पुरूषों के समान माना गया है। स्त्री समान्न्य होने के साथ ही पृथ्वी पर दैवी गुणों का प्रतीक मानी जाती थी। वे समुचे सामाजिक जीवन व संगठन का आधार थी जीवन साथी के चुनाव की आजादी, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता तथा घर व बाहर के कार्यों के लिए स्वतंत्र थी। आर्थिक क्षेत्र मे माँ व पत्नी के रूप में सीमित अधिकार प्राप्त थे। राजनीतिक क्षेत्र में उनकी प्रस्थिति तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करती थी उन्हे सभाओं में प्रवेश की अनुमति नही थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में धनुष वाण से सुसज्जित स्त्री सेनिकों का वर्णन किया है धार्मिक क्षेत्र में उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। भक्ति आन्दोलन के युग में परिवर्तन स्वरूप सामाजिक व आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ। ब्रिटिश युग मे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया जिसके मुख्य आधार थे शिक्षा का विस्तार, लडकियों की शिक्षा मे रूचि, सतीप्रथा जैसे कुप्रथाओं का अंत कानूनी उपायों का क्रियान्वयन आदि इसके अतिरिक्त विधवा, पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विशेष विवाह अधिनियम 1872, बालविवाह निरोधक अधिनियम 1929, सामाजिक आन्दोलन, बंग महिला समाज, भारत महिला परिषद 1904, इण्डियन ऐसोसियन 1917, अखिल भारतीया महिला कानप्रेंस 1927 आदि ने महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं में जागरूकता लाने का प्रयास किया।

स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात स्त्रीयों की स्थिति में परिवर्तन व गति आयी। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में कानून के माध्यम से विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा दहेज विरोधी अधिनियम 1961 ने स्थिति परिवर्तित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सामाजिक संरचना व पारिवारिक रूढ़ीवादिता ने इस परिवर्तन को सह स्वीकार नही किया लेकिन सरकारी व्यवस्था, समयानुकूल प्रस्थितियों में अनेक निर्णय महिला सशस्त्रीकरण के सन्दर्भ में स्त्रीयों के रोजगार से सम्बन्धित कानून थे । फेक्ट्ररी अधिनियम 1948 के प्रावधान, कर्मचारी राज्य वीमा, अधिनियम प्रसुति सुविधा अधिनियम, शिक्षा का प्रभाव, अभीजात वर्ग की स्त्रीयों द्वारा नेतृत्व प्रदान करना, रोजगार के बढते अवसर, जातीप्रथा की कठोरता में परिवर्तन आदि इस दिशा में उठाये गये मत्वपूर्ण कदम

हैं । स्त्री अधिकार की रक्षा के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनेक आयोग नियुक्त किये गये। 1992 में गठित महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग को स्त्रीयों से सम्बन्धित विषयों पर विचार विमर्श के लिए स्त्रीयों की स्थिति के विषय मे विभिन्न कानूनों का परीक्षण करने के लिए उनके कमियों को इंगित करने स्त्रीयों के विरूध हिंसा एवं भेदभाव के कारणों का मूल्यांकन करने के लिए सम्भव उपाय बताने के लिए निर्देशित किया गया था।

स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद से ही संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए कार्य किया जाने लगा। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भारतीय नागरीकों को स्ववंत्रता, समानता उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्र– राज्य ने सामाजिक, राजनीति व आर्थिक स्तर भरसक प्रयास इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है 21वी सदी सूचना क्रांती व वैश्वीकरण की सदी है अनेक सर्वेक्षण स्पष्ट करते है कि महिलाओं को उपलब्ध संसाधनों की पहुंच में भिन्नता है क्योंकि पंचायत महिला आरक्षण 50प्रतिशत तक पहुंच चुका है। किन्तु अशिक्षा अज्ञानता के कारण महिलाएं स्वयं की उन्नति मे कोई परिवर्तन नही ला पा रही हैं क्योंकि पंचायत पर चुनाव प्रधान धारणा आज भी प्रचलित हैं महिला प्रतिनिधि केवल रवड स्टांप की भाँति काम कर रही है, प्रशानिक अनभिज्ञता ने सरकारी सहायता की पहुंच को पंगु बना दिया । जिसमे स्वास्थ्य शिक्षा आदि महत्वपूर्ण है महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति को सुधारने हेतु कार्य करना महिला सशक्तिकरण का अभियान है महिला सशक्तिकरण महिलाओं को उनकी क्षमताओं से परिचित करवाने का संकल्प है। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है । महिलाओं के विकास के बिना देश का चहुमुखी विकास महिला सशक्तिकरण के बिना सम्भव नही है ।मानवाधिकार विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार के लिए भारतमें लम्बे समय से संघर्ष चल रहा है। किसी भी समाज की सभ्यता का अनुमान उस समाज में महिलओं कोदिये गये समान अधिकारों से लगाया जाता है। 1950 के संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद 15, 16, 39 अनुच्छेद 51 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत घरेलु हिंसा, शारिरिक दुरुपयोग, योन उत्पीडन, घरेलु हिंसा, दहेज उत्पीडन, गुजारा भत्ता, दहेज हत्या जैसे कानूनो के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा स्वतंत्रता तथा अधिकारों के संरक्षण की पहल की गई है।

नारी को जगत जननी कहा जाता है किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण पर विमर्श करे तो वह अधिकाशतः अपमान की हिस्सेदार होती है। यह प्रश्न विचार योग्य है महिला मानव समाज का अभिन्न अंग है। जिसके बिना सृष्टि की कल्पना नही की जा सकती क्योंकि वह पुरुष की जन्मदायी, पालनहारी, रक्षिता व सहचरी है। पुरुष इसके अभाव में शक्तिहीन है। समाज आत्मवत सर्वभूतेषु पर बना देता है परन्तु पुत्र–पुत्री को समान भाव से नहीं देख पाता। 21 वीं सदी की महिलाओं की बात करे तो वे सशक्त होने के मार्ग पर प्रसस्त है। शिक्षा राजनीति औद्योगिक क्षेत्र प्रसाशनिक पद सेना राजनायिक पद सभी पर महिलाये पुरुषों के समक्ष खडी है। किंतु इन सम्भावनाओं के बाद भी अभी स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हो पाया है। आज भी महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न हमारे समाने खडा है कि आखिर क्यों अदुभुत प्रतिमा से प्रतिभा से सम्पन्न होने के बाद, शिक्षित व आर्थिक रुप से स्वावलम्बी होने के बाद भी उन्हें कदम कदम पर संघर्ष

का सामना करना पड रहा है। महिलाओं का संघर्ष रुकने का नाम क्यों नही लेता? क्यों आज वह न तो घर पर सुरक्षित है न घर के बाहर? आधुनिक समय में भी महिलायें क्यों शोषित की जा रही है? रुढ़िवादी परम्परा वादी विचारधार समाज में आज भी व्याप्त है। भारतीय समाज मे आज भी यह अन्ध विश्वास है कि परिवार में एक बेटा अवश्य होना चाहिए जो कि वंश को आगे बढा सके । माता –पिता की मृत्यु के बाद उनका दाहसंस्कार किया जा सके, महिलाओं की सुरक्षा आज भी खतरे में ही है। यद्यपि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने व उन्हे रोकने के लिए प्रशासनिक उपाय भी किये जा रहे है। परन्तु आज भी मीडिया व अखवार की सुर्खियों में महिला सुरक्षा का मुद्दा सामने आता है महिलाओं के प्रति अपराध क्यों बढ रहे है? रोजगार के साथ शिक्षण स्थलों में, कार्यालयों में, घरों में व घरों के बाहर सार्वजनिक स्थलों पर न केवल भेदभाव होता है बल्कि शारीरिक व मानसिक यातना का शिकार होना पडता है। कानूनी व संवैधानिक व्यवस्थाओं के बाद भी महिला सुरक्षा का मुद्दा अत्यधिक गम्भीर है, यौन शोषण के लिए नाबालिक लडकियों व महिलाओं की तस्करी की जाती है। वैश्यावृति के साथ–साथ बालत्कार तथा महिला छेड़ छाड दहेज हत्या के आंकडे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन बढ़ रहे है। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कानून कागजी रूप से जितना सशक्त सहारा प्रतीत होता है उतना व्यवहारिक रूप से नही अतः कानून को व्यवहारिक बनाने की दिशा में प्रयास के साथ साथ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक है। महिला साक्षरता अभियान तथा सशक्तिकरण के माध्यम से ही मूलभूत अधिकारों तक महिला पहुंच सकती है। स्वय अपने शोषण उत्पीडन व प्रताडना के विरूद्ध आवाज उठाने की आवश्यकता भी है। समान अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक संस्तुति, तलाक का अधिकार, पर्दे का विरोध, शिक्षा का अधिकार आदि मांगों को लेकर सक्रीयता व जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समय समय इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाती है लेकिन जागरूकता के आभाव में योजनाएं अपना प्रभाव नही डाल पाती। इसके साथ ही मानव अधिकारों के हनन को रोकने एवं उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मानव अधिकार जागरूकता अभियान चलाया जाये। शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में उन्हें नये मान दण्डों की आवश्यकता है जिसमें महिलाओं को उनकी शक्ति, सृजनशीलता, प्रतिभा व विशेषता की जानकारी प्राप्त हो। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में शिक्षा व आर्थिक स्वावलम्बन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं स्वावलम्बन स्वाभिमान को जन्म देता है। स्वाभिमान से चेतना विकसित होती है तथा चेतना सामार्थ्य का संचार करती है। स्थानीय प्रशासन का आधार, पंचायत राज व्यवस्था है। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी इसमें सुनिश्चित है विकास योजनाओं की जानकारी के आधार पर ही सामाजिक अन्याय को रोका जा सकता है। स्वयं सहायता के समूह के माध्यम से महिलाओं का सबलीकरण एक महत्वूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। भारत में एक ऐसे समाज का निर्माण आवश्यक है जिसमें पुरूष व महिला दोनों के लिए विकास व प्रगति के समान अवसर प्रदान हो । स्वामी विवेकानन्द ने कहा था की यदि आप मुझे पाँच सौ पुरूष दे दो तो

मैं राष्ट्र को एक वर्ष में बदल दुंगा परन्तु यदि मुझे पचास महिलाऐं दे दो तो मैं कुछ महीने में ही देश बदल दुंगा।

उक्त सन्दर्भ में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नही होगा की जो लोग नारी को मात्रभोग की वस्तु मानते है वे भूल जाते हैं कि नारी सर्वप्रथम माँ है। माँ के रूप में करूणा, ममता, संस्कार आदि गुणों से ओतप्रोत है इस रूप में वह सृष्टि का आध्यत्मिक पक्ष बन जाती है जबकी पिता भौतिक पक्ष बनता है जीवन इन दोनों से ही चलता है प्रतिदिन सरलता से अनेक भूमिकाओं को निभाने वाली महिलाऐं निर्विवाद रूप से किसी भी समाज की रीड़ साबित हो सकती है। राष्ट्र के विकास व प्रगति के लिए उनकी भूमिका निसंदेह आवश्यक है। महिलाऐं वर्तमान समय में सक्रिय है। कोई भी राष्ट्र उन्नति तब तक नही कर सकता जब तक देश की महिलाऐं कंधे से कंधा मिलाकर न चलें। देश के विकास के लिए उन्हे सशक्त बनाना है जिसमें सामाजिक रूढीवादी व परमपरावादी विचारधारा का खण्डन तथा समापन अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समाज की प्रथम इकाई परिवार है । विकास के लिए (सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक) पारस्परिक सामाजस्य की अपारिहार्यता है। स्त्री पुरूष एक ही सिक्के के दो पहलु है जिनके सहयोग के बिना परिवार, समुदाय, समाज, राज्य व राष्ट्र का विकास सम्भव नही है। हमारी पूरी क्षमता का उपयोग तभी सम्भव है जब महिलाऐं पुरूषों के समकक्ष बराबर अपना सहयोग दे। यह तभी सम्भव है जब महिलाऐं सशक्त होगी ।

समीक्षा

समाज के वास्तविक आंकलन में स्त्री की भागीदारी महत्वपूर्ण है। स्त्रीयों का सम्मान प्रतिष्ठा समानता सदियों से अध्ययन का विषय रहा है। प्राचीन काल में पुरूषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्यकालीन दौर में निम्नस्तरीय जीवन जीने के बाद समाज सुधारकों द्वारा महिला समानता व अधिकार के लिए आवाज उठाने के बाद इस स्थिति में सुधार आया है। आधुनिक भारत में महिलाऐं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी व राजनीतिक आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है किन्तु आज भी इस सन्दर्भ में चुनौतियां है। उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हे लैंगिक असामनता का शिकार होना पडता है। ग्लोबल जेण्डर इनडैक्स में लैंगिक समानता के मामले में भारत 108 वे स्थान पर है। जिसमे आर्थिक असामानता सबसे बडी चुनौती है। शिक्षा व स्वलम्बन के बाद भी स्त्रियां असुरक्षित है। यद्यपि संवैधानिक व कानूनी आधार सुदृढ है किन्तु व्यवहारिक पक्ष मजबूत नही है। समाज की मानसिकता का संकीर्ण स्वरूप धर्म, परम्परा, रितिरिवाज में बदलाव लाना आवश्यक है । परिवार व समाज में नीतिनिर्माण व निर्णय प्रक्रिया कि बात तो अलग है, वे अपने व्यक्तिगत फैसले लेने भी अक्षम है। सामाजिक उत्तरदायित्व, भागीदारी का आभाव सूचना प्रौद्योगिकी के युग में शिक्षा की अप्रत्याशित कमी से समाज में दिनों दिन महिलाओं के प्रति क्रूरता व अपराध बढते जा रहे हैं। चुनौती महिलाओं को अपने परिवार से मिल रही है क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों में लिंग अनुपात चिन्ता जनक है जिसका प्रमुख कारण कन्या भ्रूण हत्या है। अनेक वैश्विक रिर्पोटों ने भारत में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थितियों पर चिन्ता व्यक्त की है। भारतीय संविधान जन्म से पूर्व ही बालिका को संरक्षण प्रदान

करता है। जनसाधारण आज भी इन प्रावधानों से परिचित नही है। अतः पूर्णदायित्व का बोध आवश्यक है इसके लिये न्याय प्रक्रिया सरल हो तथा महिलाऐं स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो यही महिला सशक्तिकरण का आधार है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. ज्ञानेन्द्र रावतः *औरत एक सामाजशास्त्रीय अध्ययन* विश्वभारती पब्लिकेशन नई दिल्ली।
2. डॉ जैन रश्मि यादव भारती, *महिला सशक्तिकरण एक समाज शास्त्री अध्ययन* लेख सितम्बर 2016 पृ0सं0 **115**
3. महात्मा गाँधीः यंग इण्डियन (1919–1922) पृ0सं0 **665**
4. डॉ अमर्त्य सेन : *इण्डिया इकोनामिक डवलवमेन्ट एण्ड सोशल* अर्पोच्यूनिटी प्रकाशन, जीन ड्रेजी क्लैरेंड प्रेश 1999
5. डॉ0 दुर्गादास बसुः *भारत का संविधान एक परिचय*
6. वण्दा करात, *भारतीय नारी–संघर्ष एवं मुक्ति*
7. खुर्राना एंव चौहान : *भारतीय इतिहास की महिलाऐं ।*
8. श्रीवास्तव सुधारनीक : *भारत में महिलाओं के वैधानिक स्थिति।*
9. डा0 चौधरी लाखा राम महिला सशक्तिकरण : *दशा एंव दिशा* लेख 2017 प0सं0 92
10. राव आर0 के0 : *महिला और शिक्षा* कल्याण प्रकाशन दिल्ली 2011
11. नाटाणी प्रकाश नारायण, *गोतम ज्योति लिंग एवं समाज,* रिसर्च पब्लिकेशनस पृ0सं0 **51**
12. ब्होरा आशारानी (1983) : भारतीय नारी दशा–दिशा, नेशलन पब्लिकेशन हॉउस दिल्ली
13. नरेन्द्र कुमार सिंधवी : *नारी परिप्रेक्ष एवं सिधान्त भारतीय स्त्री सांस्कृतिक* सन्दर्भ रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली 1981
14. भारत का संविधान – 2001 भारत सरकार विधिक एवं न्याय मंत्रालय नई दिल्ली